



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उप्र सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या:- 2074 / जी0सी0ए0ओ0छ:/17ए/2015

दिनांक:- 04 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उप्र लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उप्र सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उप्र शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुये, उन्हें एतद्वारा स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है एवं तत्क्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-5 में उल्लिखित पद पर सम्मुख अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप चयनित करते हुये, तदनुसार प्रोन्नत कर स्तम्भ-6 में उल्लिखित कार्यालय में तैनात किया जाता है:-

क्रम सं0	नाम/पिता का नाम/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम एवं तिथि	स्तम्भ-3 में प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/प्रोन्नति का दिनांक	कॉलम संख्या-5 पर प्रदत्त प्रोन्नति के फलस्वरूप तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय कुमार पुत्र श्री स्व0 संगम लाल/गोण्डा/ 31.12.2027/कार्यालय वरि0 लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), शक्ति भवन, लखनऊ	लेखा लिपिक- 20.11.2002 सहायक लेखाकार- 10.10.2007	दैनिक श्रेणी लिपिक/कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा)	लेखा लिपिक- 29.09.2007 सहायक लेखाकार- 01.01.2015	कार्यालय वरि0 लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), के0ले0क0, शक्ति भवन, लखनऊ

नियन्त्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ तैनात कार्मिक को उनके वर्तमान पद से तत्काल अवमुक्त कर, उन्हें अपने कार्यालय में स्तम्भ-5 में अंकित वर्तमान प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायगा।

उक्त के अतिरिक्त उ०प्र० शासन के आदेश सं०-८/४/१/२००२टी०सी०-१-का-२०१५, दिनांक २१.०८.२०१५ के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-६०-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक २१.०८.२०१५ में निहित प्राविधानों के अनुरूप उपरोक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या:- २०७४ / जी०सी०ए०ओ०छः/१७ए/२०१५ तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
२. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पा० का० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
३. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, केस्को, कानपुर।
४. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०), के निजी सचिव, उ०प्र० पा० का० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
५. निदेशक (वित्त), के निजी सचिव, उ०प्र० पा० का० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
६. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पा० का० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
७. महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा एवं लेखा प्रशासन)/(वित्त), उ०प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
८. उप महाप्रबन्धक (कारपोरेट टैक्स/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
९. उप महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा एवं लेखा), उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
१०. उप महाप्रबन्धक, परि० ले० का० (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
११. सचिव, उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लायज ट्रस्ट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
१२. उप मुख्य लेखाधिकारी (वित्त/कारपोरेट टैक्स/कारपोरेट लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
१३. उप मुख्य लेखाधिकारी (आंचलिक लेखा कार्यालय), पारेषण पूर्व/पारेषण मध्य/पारेषण पश्चिम/पारेषण दक्षिण, उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि० इलाहाबाद/लखनऊ/मेरठ/आगरा।
१४. उप मुख्य लेखाधिकारी, केस्को, कानपुर।
१५. उप मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई, पारेषण मुख्यालय, उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
१६. अनु सचिव (स० प्र० लेखा), उ०प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
१७. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(मुख्यालय भुगतान)/(केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ)/(वित्त)/(पेंशन), उ०प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
१८. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी।
१९. सहायक लेखाधिकारी (प्रशासन-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ), उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
२०. अधिशासी अभियन्ता, वेब साइट, कक्ष संख्या-४०७, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
२१. सम्बन्धित व्यक्ति/वैयक्तिक पत्रावली।
२२. अधिष्ठान सहायक/कट फाइल

(ए.के. तिवारी)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्रशासन)